न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–76 / 2016–17 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

नरेन्द्र मित्तल पुत्र स्व0 पन्ना लाल मित्तल, निवासी–सुभाष नगर, जिला देहरादून।

बनाम

संजीव अलीपुरिया पुत्र स्व0 हेमराज, निवासी–107 सैक्टर 28 नोयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारेआम अशोक चौधरी पुत्र कंवर सिंह चौधरी, निवासी–5 / 1 परम विहार, जिला देहरादून।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, मा0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सैना।

अधिवक्ता उत्तरदाता : अनुपस्थित।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी शिविर, देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–03 वर्ष 2014–15 संजीव अलीपुरिया बनाम नरेन्द्र मित्तल में पारित आदेश दिनांक 16–09–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत हैः–

निगरानीकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–28 भू0रा0अधि0 कलेक्टर, देहरादून को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके पिता द्वारा दो विक्रय पत्र दिनांक 15–02–1947 से भूमि खसरा नं0–778 व 779 स्थित ग्राम माजरा क्रय किया था जिस पर उसकी आबादी बनी है तथा चारदीवारी बनी है लेकिन सर्वेक्षण क्रियाओं के दौरान उक्त खसरा नं0 के साथ अन्य खसरा नं0–784 व 780 को मिलाकर नया खसरा नं0–1059 क्षेत्रफल 0.3550 है0 बनाया गया है, कि सर्वेक्षण के दौरान निगरानीकर्ता के अध्यासन वाली भूमि का पृथक खसरा नं0 दर्शाया जाना चाहिए था किन्तु वास्तविक स्थलीय स्थिति के विपरीत उनकी व अन्य सम्पत्ति स्वामियों की सम्पत्ति के साथ एक चक के रूप में खसरा नं0–1059 दर्शा दिया गया है अतः उसके अध्यासन वाली भूमि का सजरा तद्नुसार संशोधित किया जाय। विद्वान अपर कलेक्टर (प्र0) ने जांचोपरान्त विधिवत सुनवाई उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 25–02–2009 से प्रार्थी / निगरानीकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि का नया खसरा नं0–1059क / 1 बनाकर उसका मानचित्र तद्नुसार शुद्ध किये जाने के आदेश पारित किया जिसका एक संशोधन आदेश दिनांक 02–12–2009 को भी पारित किया गया जिसके विरूद्ध उत्तरदाता ने

पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 09–10–2013 को प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 04–06–2015 से निरस्त किया गया। आदेश दिनांक 04–06–2015 के विरूद्ध उत्तरदाता ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी शिविर देहरादून के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 16–09–2016 से स्वीकार कर अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 04–06–2015 व 02–12–2009 को निरस्त किया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी में उत्तरदाता की ओर से कैविएट प्रस्तुत था जिस पर दिनांक 26–10–2016 को कैविएटर व निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण की गई तथा तत्पश्चात नियत तिथियां जो कि लगभग 13–14 है पर उत्तरदाता की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ तथा दिनांक 08–12–2017 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा उपलब्ध अभिलेखों का भली भांति अवलोकन किया।

अवर निगरानी न्यायालय/विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह विद्वान अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 04–06–2015 व 25–02–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि विधितः पोषणीय नही थी क्योंकि एक आदेश के विरूद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 04–06–2015 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मूल आदेश दिनांक 25–02–2009 के विरूद्ध भी जो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह अत्याधिक विलम्ब लगभग 19 माह पश्चात दिनांक 09–10–2013 को प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी इस आधार पर स्वीकार की गई कि धारा–28 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत केवल कलेक्टर ही आदेश पारित कर सकता है लेकिन उनके द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा–14क का संज्ञान नही लिया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त कलेक्टर ऐसे मामलों के वर्ग में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि सम्बन्धित कलेक्टर निदेशित करे यदि अपर कलेक्टर (प्र0) द्वारा वर्तमान प्रकरण में धारा–28 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है तो यह कलेक्टर द्वारा निदेशित होने पर ही किया गया होगा।

विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी उत्तरदाता द्वारा अवर न्यायालय में प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 04–06–2015 एवं मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 25–02–2009 व संशोधित आदेश दिनांक 02 –12–2009 के विरूद्ध योजित की गई है। चूंकि अवर न्यायालय में प्रस्तुत उत्तरदाता का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 04–06–2015 को निरस्त किया जा चुका था तो विद्वान अपर आयुक्त को चाहिए था

कि वे सर्वप्रथम आदेश दिनांक 04–06–2015 का पुनरीक्षण कर उसके विधिक एवं तात्विक अनियमितता सम्बन्धी पहलू का परीक्षण करते एवं तदनुसार ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के पुनर्जीवित होने की स्थिति मे प्रकरण सम्बन्धित कलेक्टर को भेजते लेकिन उनके द्वारा ऐसा न कर पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 04–06–2015 के साथ ही आदेश दिनांक 25–02–2009 का संशोधन आदेश दिनांक 02–12–2009 निरस्त किया गया जो कि एक विधिक एवं तात्विक अनियमितता है जिसके दृष्टिगत निगरानी स्वीकारणीय है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 16–09–2016 निरस्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 16–09–2016 अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित की जाय।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक:21.12.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।